

# बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com, website:www.bsmfc.org)

सचिका संख्या रो.ऋण.-3-72/22 ..... बी० एस० एम० एफ० सी०, /

दिनांक: .....

## स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्बंधित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत लखीसराय जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित सूची उप विकास आयुक्त, लखीसराय के पत्रांक-140 दिनांक-26.07.2022 के माध्यम से प्राप्त है। उक्त चयनित वृहद ऋण क्र.सं-01 से 02 तक के आवेदकों का प्रमण्डलीय प्रभारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निष्पादित करा कर ऋण को स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यालय को भेजा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय के द्वारा की गई अनुशांसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाई गई राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	पत्र संख्या	अर्ज संख्या	Appl. Name / F/H Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Charge-2030/-	Net Payable Amount
1.	01/03	17	RAZDA AZMI, D/o- MD SUHAIL, Vill.-ALI NAGAR, Block-SURAJGARHA, PS-SURAJGARHA, PO-ALI NAGAR, Distt.-LAKHISARAI-811106, Mob.:- 6207027563	A/c No.:- 479102010017342 UBIN0547913	READY MADE KAPRA DUKAN	250000	1250	2030	246720
2.	02/02	41	MD NAUSHAD ANSARI, S/o-SHARFUDDIN ANSARI, Vill.-NAWADIH, Block-RAMGARH CHOWK, PS-TETARHAT, PO-TETARHAT, Distt.-LAKHISARAI-811311, Mob.:-9334425461	A/c No.:- 30430100017777 BARBOLAKHIS	JUTA DUKAN	250000	1250	2030	246720
<b>TOTAL</b>						<b>500000</b>	<b>2500</b>	<b>4060</b>	<b>493440</b>

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 09-12-2022

ज्ञापक:- रो.ऋण.-3-72/22 ..... 5029 - 5031

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/

प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

*(Handwritten Signature)*

सहायक निदेशक-सह-प्रबन्धक प्रशासन